भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3663
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

नेतृत्व की भूमिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

3663. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेतृत्व की भूमिका में महिलाओं की सरकार, कॉर्पोरेट और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;और

(ख) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में पोषण अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): भारत सरकार ने समाज के सभी वर्गों की महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के उद्देश्य से जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर मुद्दों को हल करने के लिए "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" दृष्टिकोण अपनाया है तथा इसमें महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण भी शामिल है। विभिन्न नीतियों के माध्यम से, भारत सरकार स्थानीय शासन एवं राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दे रही है।

वर्ष 2023 में भारत की संसद ने संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023, "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" पारित किया, जो संघीय ढांचे के सभी स्तरों पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की अपनी राष्ट्रीय यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह ऐतिहासिक कानून संसद के निचले सदन, लोकसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा सहित सभी संघीय राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों का एक तिहाई आरक्षित करता है, इस प्रकार यह सार्वजनिक निर्णय लेने के उच्चतम स्तरों पर राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संस्थागत बनाता है।

यह वर्तमान उपलब्धि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन (1992) के माध्यम से स्थानीय शासन के ग्रामीण और शहरी निकायों अर्थात पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में एक तिहाई (33 प्रतिशत) सीटें आरक्षित करके जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व की सकारात्मक कार्रवाई को सम्मानित करने के तीन दशकों से अधिक समय की आधारशिला पर बनी है। विकेंद्रीकृत संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए, दो तिहाई से अधिक राज्यों (21 राज्य/और पीआरआई के साथ 2 संघ राज्य क्षेत्र) ने अपने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। परिणामस्वरूप, आज स्थानीय सरकारों में लगभग 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग आधे (46 प्रतिशत) अर्थात 14.5 लाख महिलाएं है जो प्रतिनिधित्व का एक ऐसा पैमाना है जो विश्व में अद्वितीय है ।

सरकार ने देश भर में पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक व्यापक एवं लक्षित क्षमता निर्माण पहल "सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान" शुरू किया है। यह उनके नेतृत्व कौशल को प्रखर करने, उनकी निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाने और जमीनी स्तर पर शासन में उनकी भूमिका को मजबूत करने पर केंद्रित है। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए हैं। महिला कर्त्तव्यधारियों और चुनाव लड़ने वाली महिला नेताओं द्वारा सामना की जा रही जमीनी स्तर की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, "पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए लैंगिक आधारित हिंसा एवं हानिकारक प्रथाओं से निपटने वाले कानून पर एक व्यापक प्राइमर" भी तैयार किया गया है।

वर्तमान में, सरकार ने आदर्श महिला-अनुकूल ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श ग्राम पंचायत स्थापित करना है जो महिलाओं एवं बालिकाओं दोनों के अनुकूल हो, जिससे लैंगिक समानता तथा सतत ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को बल मिलेगा।

सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रावधान किया है कि कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक होना अनिवार्य है। परिणामस्वरूप, आज लगभग 11.6 लाख महिला निदेशक सार्वजनिक और निजी कंपनियों से जुड़ी हुई हैं।

स्टार्ट-अप की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए, सरकार ने महिला उद्यमिता सहित उद्यमिता को सहायता और बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत सरकार द्वारा समर्थित 1,57,066 स्टार्ट-अप में से लगभग आधे का प्रतिनिधित्व करने वाले 73,000 से अधिक स्टार्ट-अप में कम से कम एक महिला निदेशक है, जो नवोन्मेषी और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

(ख): 15वें वित्त आयोग के अवधि के दौरान, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से सरकारी भवनों में स्थित 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को बेहतर पोषण प्रदायगी तथा सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों सहित महिलाओं और बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता एवं शिक्षा के आयामों से जुड़े कुपोषण के मुद्दे को 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच क्रॉस कटिंग अभिसरण स्थापित करके बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से समाधान किया जा रहा है।

कुपोषण में कमी लाने और सामुदायिक जुड़ाव, पहुँच, व्यवहार परिवर्तन और एडवोकेसी जैसी क्रियाकलापों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा के लिए नई कार्यनीति बनाई गई है। यह योजना मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/ मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार एवं आयुष प्रथाओं के माध्यम से स्वास्थ्य पर केंद्रित है ताकि कुपोषण , ठिगनापन और कम वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

जनवरी 2023 के संशोधित पोषण मानदंडों के अनुसार जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के अंतर-पीढ़ीगत चक्र का उन्मूलन करने के लिए बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, जो आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित है जो पुराने मानदंडों के बजाय गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान

करता है जो बड़े पैमाने पर कैलोरी-विशिष्ट थे।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता(एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर - कच्चा राशन नहीं) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम एवं उपचार तथा ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों सहित इससे संबंधित रुग्णता एवं मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) प्रोटोकॉल जारी किया है।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान जन आन्दोलन के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है एवं सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य है ।

दिनांक 1 मार्च, 2021 को निर्धारित संकेतकों के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचे (एडब्ल्यूसी) और सेवा प्रदायगी और लाभार्थियों की निगरानी एवं ट्रैकिंग की सुविधा के लिए 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन शुरू किया गया था। "पोषण ट्रैकर" के साथ, कुपोषण संकेतकों पर तत्समय प्रत्येक महीने का आंकड़ा उपलब्ध है। एनएफएचएस (लगभग 6.1 लाख घरों का नमूना आकार और हर 5 या 6 साल बाद ही सर्वेक्षण किया जाता है) की तुलना में, पोषण ट्रैकर लगातार लगभग 8.5 करोड़ बच्चों को मापता है, जिसमें ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं, लगभग हर महीने लाभार्थियों की तत्समय की पोषण स्थिति का पता चलता है।

*****